न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 426/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. सम्पतदास पुत्र बालदास साद निवासी– ग्राम व तहसील ओसियॉ, जोधपुर।		1. मांगीबाई बाई पुत्र भीकदास 2. सूरज देवी पुत्री बालदास 3. नेनीदेवी पुत्री बालदास 4. लक्ष्मी पत्नी बालदास जातियान साद निवासी– ग्राम व तहसील ओसियॉ, जोधपुर। 5. सरपंच ग्राम पचांयत, ओसियॉ जिला जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2018 जो राजस्व अपील संख्या 173/2017 अनवान मांगीबाई बनाम सम्पतदास वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– सभी रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ने एक प्रथम राजस्व अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 1041 दिनांक 7.9.2015 के विरूद्ध इस आशय की पेश की गई कि नामा0 हकतर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को उक्त हकतर्कनामा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एक वाद विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत उक्त नामा0 संख्या 1041 दिनांक 7.9.2015 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार ओसियॉ को पुनः सुनवाई करने का दिनांक 11.5.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है जिस पर अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रख दिया गया, जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलान्ट ने पत्रावली में पुनः तारीख पेशी देखने हेतु पता किया गया तब पता चला कि पत्रावली का निस्तारण दिनांक 11.5.2018 को कर दिया गया है। दिनांक 09.09.2018 को रेस्पो0 संख्या एक मौके पर आई व अपीलार्थी को धमकी दी तथा अपीलाधीन आदेश करवा लेने का बताया तब उसके द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई एवं दिनांक 24.9.2018 को नकल इत्यादि दस्तावेज प्राप्त करते हुए दिनांक

4.10.2018 को यह द्वितीय अपील पेश की जा रही है। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की कि अपीलाधीन नामा0 हकतर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 को हकतर्क करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। इसलिये हकतर्कनामा गलत है। रेस्पो0 संख्या एक एवं रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 के विरूद्ध एक वाद विचाराधीन है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा भूमि का बेचान करने के लिये जमाबन्दी की नकल ली जब उसे अपीलाधीन नामा0 की जानकारी हुई, तब उसने प्रथम अपील पेश की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील दर्ज कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। तब अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने की अण्डरटेकिंग ली गई तत्पश्चात पत्रावली रिकार्ड व जवाब हेतु चल रही थी तथा पेशी दिनांक 25.3.2018 रखी गई। उसके उपरान्त बिना तारीख पेशी के ही पत्रावली दिनांक 11.5.2018 को ग्राम पंचायत बाला कैम्प कोर्ट में लेकर रेस्पो0 की प्रथम अपील को स्वीकार कर लिया और नामा0 संख्या 1041 को निरस्त कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया है जो अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अतः निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली अपील को लोक अदालत की भावना से राजीनामें हेतु ग्राम बाला के कैम्प में रखी, लेकिन गुणावगुण पर पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो लोक अदालत की भावना से विपरित होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इस आधार पर कि रेस्पो0 संख्या एक को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जबकि पंजीबद्ध हकतर्कनामें के पंजीबद्ध दस्तावेज आधार पर नामा0 स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त पंजीबद्ध हकतर्कनामा आज दिन भी प्रभाव में है और उसे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की ओर से पेश धारा 05 मयाद अधिनियम का भी गलत रूप से निस्तारण किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पो0 संख्या एक को उक्त नामा0 की जानकारी उससे पूर्व नहीं रही। इन आधारों पर भी रेस्पो0 की प्रथम अपील अस्वीकार करने योग्य थी। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई कारण दर्शाये आदेश पारित किया गया है जो विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सुनवाई का मौका नहीं दिये जाने के आधार पर अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.5.2018 को निरस्त करने हुए नामा0 संख्या 1041 को बहाल रखा जावें।

हमने उपस्थित अपीलान्टस अधिवक्ता की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 11.05.2018 का इत्यादि का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 26.03.2015 को सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 07.09.2015 को हकतर्कनामा दिनांक 01.07.2015 एव 03.07.2015 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो विधि विरूद्ध दृष्टिगोचर होता है जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर